न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान
पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.
--

प्रकरण संख्या–26/2019 प्रा0प0 दिनांक 03.12.2021

उनवान

झमकुबाई पत्नि गोपीलाल जाट उम्र वयस्क निवासी मुरलिया तहसील भदेसर

...............प्रार्थिया

।। बनाम ।।

भूमिधारी सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ

.... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित– 1. श्री प्रवीण जोशी वकील प्रार्थिया

सारांश प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–प्रार्थिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम मुरलिया पटवार हल्का पिपलवास तहसील भदेसर में स्थित साबिक खाता सं. 66 पर दर्ज आराजी नम्बर 289/3 रकबा 5 बीघा बाद भू प्रबन्धन के नवीन खाता संख्या 72 में दर्ज आराजी नम्बर 638 रकबा 1.08 हैक्टैयर कुल लगानी 14.04 रू0 भूमि दर्ज रेकार्ड चली आ रही है साक्ष्य में नकल जमाबन्दी साबिक संवत 2066 से 2069 एवं नवीन जमाबंदी संवत् 2072 से 2075, नक्शा ट्रेस साबिक व नवीन, मिलान शीट पेश किया है। सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा प्रार्थिया की साबिक खाता सं. 66 पर दर्ज आराजी नम्बर 289/3 रकबा 5 बीघा बाद भू प्रबन्धन के नवीन खाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

72 में दर्ज आराजी नम्बर 638 रकबा 1.08 हैक्टैयर के नक्शा ट्रेस में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना नक्शे में परिवर्तन कर दिया जो प्रार्थिया के हितों के विपरित है जबकि प्रार्थिया मौके पर साबिक नक्शे अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहा है। जिससे सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा प्रार्थिया की आराजीयात के नक्शें ट्रेस में परिवर्तन करने का कोई कानूनी हक एवं अधिकार नहीं होते हुए भी नक्शे में मन मुताबिक परिवर्तन करते हुए प्रार्थिया की आराजीयात के नक्शे में परिवर्तन कर दिया जबकि प्रार्थिया मौके पर साबिक नक्शे अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहा है।यह सब संबंधित कर्मचारियों ने भूमि के नक्शे में हेर–फेर करते हुए गंभीर त्रुटि कारित कर दी है जिससे प्रार्थिया के हितो एंव अधिकारो पर विपरीत असर पड़ा है। सेटलमेन्ट के दौरान की गई त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थिया की आराजीयात नक्शें मे साबिक अनुसार अंकित कराई जाना न्यायहित में आवश्यक होने से यह आवेदन बाबत नक्शा दुरूस्ती हेतु पेश किया हे जो स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया तथा प्रार्थना पत्र के संदर्भ में विपक्षी तहसीलदार भदेसर से राजस्व रेकार्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति के आधार पर कमीशनरी रिपोर्ट मंगवाई गई।

पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 शिविर पिपलवास में प्रस्तुत हुई। प्रार्थिया के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थिया के खातेदारी में दर्ज आराजीयात के नक्शे ट्रेस में सेटलमेंट अधिकारियो द्वारा नक्शे में परिवर्तन कर दिया है जबकि प्रार्थिया मौके पर साबिक नक्शे अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थिया अधिवक्ता ने प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि दौराने सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा राजस्व नक्शे में फेर बदल कर नक्शा परिवर्तित कर दिया गया है प्रार्थिया के कब्जे एवं खातेदारी में दर्ज रकबे एवं साबिक नक्शें को ध्यान मे नहीं रखा गया है । जबकि मौके पर प्रार्थिया का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

रकबा पूर्ण हे केवल मात्र राजस्व नक्शा ट्रेस में त्रुटि है जो शुद्धि योग्य है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थिया की खातेदारी में दर्ज मौजा ग्राम मुरलिया पटवार हल्का पिपलवास में स्थित साबिक खाता सं. 66 पर दर्ज आराजी नम्बर 289/3 रकबा 5 बीघा बाद भू प्रबन्धन के नवीन खाता संख्या 72 में दर्ज आराजी नम्बर 638 रकबा 1.08 हैक्टैयर भूमि के राजस्व नक्शा जो कि दौराने सेटलमेंट साबिक नक्शे से परिवर्तन कर दिया है जिसे पुनः साबिक नक्शे अनुसार शुद्धि किये जाने का आदेश दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस में अमल दरमामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भदेसर को पालनार्थ भिजाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner